Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-938/RJ/32/2023-SSW

दिनांक: 21/06/2023

श्री भवानी सिंह देथा
सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय,
जयपुर,
जयपुर, राजस्थान 302005
(Tel. No: 01412227200)

विषय: राजस्थान सरकार द्वारा संस्थापन पद पर वरिष्ठता नियमों का उल्लंघन कर पदोन्नति करने एव अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित रखने के संबंध में :- श्री सुरजमल मीना (प्रशासनिक अधिकारी, HRD शाखा) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजष्टन सरकार का दिनांक 11.01.2023 का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Surajmal Meena से दिनांक 17/01/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(हरि राम मीना/Hari Ram Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं. 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

Surajmal Meena,
H No.96, Patel Nagar,
District-Swai Madhopur, (Rajasthan) - 322001
(Email: surajmalmeena1998@gmail.com)
(Mobile No:9664115773)

NIC, NCST (please upload on the website)